सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना
[प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना]
रेल कौशल विकास योजना

सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना भोपाल के क्षेत्रीय रेलवे वैल्डिंग संस्थान मे रेलवे कौशल विकास योजना के अंतर्गत वैल्डिंग ट्रेड मे वर्ष 2021-22 प्रथम एवं दिव्तीय बैच के लिए आवेदन की सूचना।

“युवा को कुशल बनाना देश को आगे बढ़ाना”

रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्थानीय बेरोजगार नवयुवको/नवयुवतियों को प्रशिक्षित करने के लिए लघु अवधि 3 सप्ताह (100 घंटे) के लिए रेलवे कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैल्डिंग ट्रेड मे प्रति बैच 15 नवयुवको/नवयुवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पूर्णता निशुल्क है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मे किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है।

शैक्षणिक योग्यता :

1 हाई स्कूल उत्तीर्ण [10 वी पास] 2. आयु 18-35 वर्ष [31 अगस्त 2021 तक]

इच्छुक अभ्यार्थी जो उपरोक्त पात्रता को पूरा करता हो, दिये गए प्रोफॉर्मा मे जिसे संस्थान के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हे अथवा पश्चिम मध्य रेलवे की वैबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in से भी डाउनलोड कर, अपना आवेदन कर सकते हैं । आवेदन मे अपना पूरा नाम, पिता का नाम ,पता ,शैक्षणिक योग्यता एवं मोबाइल नंबर व ईमेल अवश्य अंकित करें।

आवेदन के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र (जिसमे जन्म तिथि अंकित हो अथवा अंक पत्र के साथ प्रमाण पत्र) एवं पहचान हेतु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा राशन कार्ड मे से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव मे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदको का चयन जमा आवेदनों की हाई स्कूल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निम्नलिखित स्थान पर जमा करें।

क्षेत्रीय रेलवे वैल्डिंग संस्थान

सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना भोपाल

[आवेदन संस्थान के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स मे डालें]

<u>कृप्या सहायता हेतु</u>

अनुदेशक : मोबाइल न. 09893442580 पर संपर्क करें।

आवेदन दिनांक 24.09.2021 तक सायं 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यार्थीयो की सूची 30.09.2021 को क्षेत्रीय रेल्वे वैल्डिंग संस्थान सड़िपुका /भोपाल के सूचना पट पर चस्पा कर दी जाएगी एवं इसकी सूचना उनके आवेदन मे अंकित मोबाइल नंबर/ईमेल पर व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी।

चयनित प्रथम 15 अभ्यार्थियो का प्रशिक्षण **प्रथम बैच 04.10.2021 से 23.10.2021 एवं दिव्तीय बैच 08.11.2021 से 27.11.2021** तक संस्थान के कार्य समय अनुसार संचालित होगा। सीट आवंटन, बैच आवंटन एवं प्रशिक्षण से संबन्धित अन्य मामलो में रेलवे के सभी अधिकार सुरक्षित है।

- **अन्य जानकारी** उपरोक्त वैबसाइट **पर उपलब्ध हैं ।**
- आवेदक अपना कोरोना वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट आवेदन के साथ संलग्न करें।

प्रशिक्षण अधिकारी/स.डि.पु.का.

<u>प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना</u>

रेल कौशल विकास योजना

वैल्डिंग ट्रेड में वर्ष 2021-22 (प्रथम एवं द्वितीय बैच आवेदन पत्र)

पासपोर्ट साइज़
फोटो चस्पा करे

	नाम (हिन्दी में एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
1.	जन्म तिथि	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	पिता / पति का व्यवसाय	
4.	ट्रेड	वैल्डिंग
5.	हाईस्कूल (मेट्रीकुलेशन) में प्राप्तांक प्रतिशत अथवा CGPA	
6.	पत्राचार का पता	
7。	फोन / मोबाइल न.	
8.	ईमेल (यदि उपलब्ध हो)	

(स्व-घोषणा)

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण सत्य है ।

संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि -

हाईस्कूल उत्तीर्ण का अंक प्रमाण पत्र (जिसमे जन्म तिथि अंकित हो अथवा अंक पत्र के साथ प्रमाण पत्र) एवं पहचान हेतु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस अथवा राशन कार्ड मे से कोई एक, कोरोना वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट।

स्थान : अभ्यार्थी का हस्ताक्षर

दिनांक : अभ्यार्थी का नाम :

रेल कौशल विकास योजना (RKVY) मे लागू दिशानिर्देश

पात्रता

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वी कक्षा उत्तीर्ण तथा आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच ।
2. औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण हेतु फ़िटनेस के संबंध में रजि.चिकित्सक (M.B.B.S) द्वारा प्रदत्त। (**उचित दृष्टि क्षमता, उचित श्रवण क्षमता,स्वस्थ मानसिक स्थिति तथा संक्रामक रोग से मुक्त**)प्रमाण पत्र ।

चयन प्रक्रिया

1. मेरिट लिस्ट हाईस्कूल उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार होगी।

नियम और शर्ते

आवेदक को सूचना के तहत आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित नियम एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. आवेदन उचित फ़ारमैट मे आवश्यक दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें ।
2. रेल कौशल विकास योजना मे शामिल होने वाला अभ्यार्थी रेल सेवा मे रोजगार का दावा करने हेतु पात्र नहीं होगा।
3. रेल प्रशासन किसी प्रशिक्षण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण भत्ता/वेतन (स्टायफंड) देने हेतु बाध्य नहीं है
4. चयन प्रक्रिया जाति अथवा धर्म के आधार पर नहीं होगी।
5. अभ्यर्थी को अधिकृत प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा ।
6. एक अभ्यार्थी को एक प्रशिक्षण अवधि मे एक ही व्यवसाय (ट्रेड) मे प्रवेश दिया जाएगा ताकि दूसरे अभ्यार्थी को अवसर प्राप्त हो ।
7. अल्प अवधि पाठ्यक्रम होने के कारण निरंतर प्रशिक्षण तथा प्रमाण पत्र हेतु 75% उपस्थिती अनिवार्य है।
8. प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यार्थी को ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
9. प्रायोगिक परीक्षा मे 60% तथा लिखित परीक्षा मे 55% प्राप्त करने वाला अभ्यार्थी ही प्रमाण पत्र हेतु पात्र होगा। लिखित परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न होंगे जो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन हो सकते है ।
10. प्रशिक्षण की प्रक्रिया दिन के समय होगी।
11. अभ्यार्थी प्रशिक्षण अवधि मे संस्थान के सभी नियमों का सुरक्षित रूप से पालन करेंगे जिसमें जॉब, टूल्स , गेजेस, मशीन ,यंत्र, संयंत्र, एवं मानव सुरक्षा सम्मिलित है । वह किसी भी प्रकार की मस्ती से खतरनाक स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा जिससे उसे स्वयं को अथवा उसके अन्य साथी की सुरक्षा को अबाधित करे।वह किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि मे लिप्त नहीं होना चाहिए। उसके विरुद्ध FIR दर्ज ना हो ।
12. चयनित अभ्यार्थी रुपये 10/- का नॉन ज्यूडिश्येल स्टांप पेपर नोटराइज करके जिसमें कौशल विकास प्रशिक्षण के मापदंड को पूरा करने संबंधी शपथ लिखी हो , रेलवे के पक्ष मे प्रस्तुत करना होगा ।
13. अभ्यार्थी को हेलमेट ,फ़ेस शील्ड , हैंड्स ग्लवस दिये जाएंगे जो वापस करने होंगे ।
14. प्रशिक्षण अवधि मे अभ्यार्थी रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ।
15. अभ्यार्थी को दैनिक भत्ता/वाहन भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
16. प्रशिक्षुओ को वेक्सीन का प्रथम डोज़ अनिवार्य है तथा दोनों डोज़ ले चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
17. बैच मे नामांकन पूर्ण रूप से रेलवे के अधिकार क्षेत्र मे रहेगा ।
18. सीट आवंटन , बैच आवंटन एवं प्रशिक्षण से संबन्धित अन्य मामलो में रेलवे के सभी अधिकार सुरक्षित है।